न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी : नरेन्द्र कुमार शर्मा, आर.एच.जे.एस.
(अतिरिक्त कार्यभार)

फौ.वि.(जमानत) आवेदन सं.02/14

1. ईकबाल खॉ पुत्र जोमरदीन खॉ, जाति शेरानी,
2. जुबैदा पत्नी ईकबाल खॉ, जाति शेरानी, निवासीगण शेरानी आबाद, तहसील डीडवाना, जिला नागौर।

––प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक।

––अप्रार्थी/अभियोगी

अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रथम सूचना सं.101/13, पुलिस थाना– खुनखुना, अपराध अपराध धारा 498ए, 323 व 307/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–
1.श्री हरदीनराम जाखड़, अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2.श्री रामेश्वरलाल भाकर, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

––

आदेश

दिनांक.07.01.2014

1. प्रार्थीगण ईकबाल खॉ व जुबैदा की ओर से यह अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. के प्रावधानों में इन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया कि आहता ने अपने पीहर पक्ष के बहकावे में आकर चाकू से चोट पहॅूचाने का गलत बयान किया है। आहता ने दि.13.10.2013 को चिकित्सक के समक्ष बाजरे की सिट्टिया काटते समय दांतली की लगने का बयान दिया है। प्रार्थीगण अपनी समुचित जमानत प्रस्तुत करने को तत्पर है और प्रार्थीगण का जमानत आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

2. इस जमानत आवेदन से संबंधित केस डायरी आहूत की गई। केस डायरी में वर्णित तथ्यों के अनुरूप रफीक पुत्र लाल खान के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि रज्जाक उर्फ सदाम हुसैन ने

बरकत बानो के साथ विवाह के पश्चात् से मोटरसाईकिल व एक लाख रूपये की दहेज की मांग को लेकर क्रूरता की तथा दि.12.10.13 को अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर पीड़िता के पेट में धारदार चाकू से वार कर उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया।

3. इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, खुनखुना के द्वारा प्रथम सूचना सं. 101/13 धारा 498ए व 323 भा.दं.सं. में पंजीबद्ध की गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को आशंका है कि प्रकरण में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। अतः यह अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण संस्थित कराया गया है। इस प्रकरण की आहता बरकत बानो उर्फ समीना के द्वारा चिकित्सक के समक्ष उसके शरीर पर उक्त चोटे बाजरे की सिट्टियॉ काटे जाने के समय दांतली से आने के तथ्य के संबंध में स्वीकारोक्ति की गई है और इस तथ्य को संबंधित चिकित्सक के द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार आहता के शरीर पर जो चोट कारित की गई है, उससे इस जमानत आवेदन के प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का किसी प्रकार का कोई कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थीगण निर्दोष है, और प्रार्थीगण का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. विद्वान् अपर लोक अभियोजक की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आहता बरकत बानो उर्फ समीना के गंभीर प्रकृति की चोटे अभियुक्तगण द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर कारित की गई है।आहता की आंतों पर गंभीर प्रकृति की चोटे आई है। इस संबंध में चिकित्सक के द्वारा भी उसके शरीर पर आई चोटों को गंभीर एवं प्राणघातक होने का तथ्य प्रकट किया है। ऐसी स्थिति में इन अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

6. इस न्यायालय के द्वारा उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये

उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया, संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में संबंधित पुलिस के द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 498ए व 406 भा.दं.सं. के अपराध के आरोप आरोपित किये गये हैं। संबंधित पुलिस के द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, उसमें इस जमानत आवेदन के प्रार्थी ईकबाल खॉ व जुबैदा से दहेज के सामान की बरामदगी किये जाने का तथ्य प्रकट किया है। इस प्रकार इस जमानत आवेदन के प्रार्थीगण से बरामदगी करना भी शेष है। अतः प्रार्थीगण से इस प्रकरण में बरामदगी किया जाना शेष होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर किसी भी प्रकार का कोई अभिमत व्यक्त किये बिना प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत आवेदन इस अवस्था पर इस न्यायालय के विनम्र मत में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ईकबाल खॉ व जुबैदा की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(नरेन्द्र कुमार शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।

9. आदेश आज दिनांक 07.01.2014 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र कुमार शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश,
डीडवाना।

नोटः— इस आदेश की प्रति का उपयोग प्रमाणित प्रति के रूप में मान्य नहीं होगा।